सूचना का अधिकार मामला

By ~~ई~~-पोस्ट

सं- सी–30019/2/2017-स्थापना -VI/1539

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

*****

कमरा सं 528 (उत्तर), सेवा भवन,

राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 12 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

श्री शाहिद अख्तर,
4060, सेक्टर 4 बी, आकाश गंगा अपार्टमेंट,
वसुंधरा, ग़ाज़ियाबाद - 201012

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अन्तर्गत श्री शाहिद अख्तर, 4060, सेक्टर 4 बी, आकाश गंगा अपार्टमेंट, वसुंधरा, ग़ाज़ियाबाद - 201012 से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन ।

मान्यवर,

कृपया अपने सूचना के अधिकार आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2017, जो कि स्थापना **छः** अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग में 29.11.2017 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से आपने विभिन्न बिन्दुयों के माध्यम से सूचना माँगी है ।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना के सूचना के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि स्थापना **छः** अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में वांछित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :

मद सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	बताने का कष्ट करें कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुबंध पर रखे गए/कार्य कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों की कार्य अवधि और मानदेय/वेतन सहित उनकी सूची देने का कष्ट करें ।	स्थापना **छः** अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।
2.	इन कर्मचारियों/अधिकारियों की पंजीकृत नियोक्ता एजेंसियों के नाम व पते सहित सूची तथा उन्हें मिलने वाले कमीशन का ब्यौरा दें ।	
3.	बताने का कष्ट करें कि पांच वर्ष से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की नीति की जानकारी दें । विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में ऐसे कितने रिक्त पद हैं । पद व रिक्त अवधि सहित इनकी सूची दें । बताने का कष्ट करें की ऐसे पांच साल से रिक्त चले आ रहे समाप्त किये पदों की सूची देने का कष्ट करें ।	स्थापना **छः** अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

अगले पृष्ठ पर जारी......

4.	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों वैसे कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी देने का कष्ट करें कि जिनका पद तो कुछ और है और उनसे काम कुछ और लिया जा रहा है । कार्यकाल व वेतन सहित ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची दें ।	
5.	बताने का कष्ट करें कि मुख्य श्रमायुक्त श्री बी. के. सांवरिया की तारिख 23 जनवरी, 2013 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में काम करने वाले अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों/अधिकारियों से सम्बंधित शिकायतों पर की गई कार्यवाई का ब्यौरा दें ।	
6.	बताने का कष्ट करें कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पंजीकृत सेवा प्रदात्री कंपनियों के अतिरिक्त भी अनुबंध पर कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की गई है । अगर हाँ तो इनकी सेवा का संचालन जिन नियमों के तहत किया जा रहा है, उनकी जानकारी दें ।	स्थापना **छः** अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।
7.	अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12, 10, और 7 का पूरी तरह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का पालन करने की जानकारी देने का कष्ट करें ।	
8.	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुबंध पर रखने के लिए अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 2(1) (जी) के तहत प्रधान नियोक्ताओं की सूची पता व पद सहित देने का कष्ट करें । साथ ही यह भी बताएं कि किन किन कार्यों के लिए कर्मचारी व अधिकारी अनुबंध पर रखे गए हैं । इन कार्यों में अनुबंध पर लोगों को रखने के लिए सक्षम प्राधकारी द्वारा गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दें ।	

3. उपरोक्त, नियम 19(1) आर.टी.आई एक्ट 2005 के अनुसार प्रथम अपिलिए अधिकारी श्री एम. रघुराम, निदेशक, हाइड्रोलॉजी (नॉर्थ), 7वीं मंजिल (साउथ), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम. नई दिल्ली - 110066 हैं।

भवदीय,

(सचिन देव वर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव
☎: 29583637

प्रति:

1. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066.
2. The Dy. Director, SMD, CWC, New Delhi for uploading on website.

Ald 14.12.17

SMD अनु./Sec./निदे./Dir.
डा. सं./Dy. No. 394
दिनांक/Date 14-12-17